न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 106 / 2013 दायरा दिनांक : 09.10.0213

उनवान

नेनाराम पुत्र श्री गंगाराम जाति बंजारा, निवासी त्रिवेणी मजरा बमोरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री हितेन्द्र सिंह

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 16.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 11.11.2011 प्रकरण संख्या 178 / 2011 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार छीपाबडोद के प्रकरण सं0 355 / 2010 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.11.2010 से अपीलांट को ग्राम बमोरी, तहसील छीपाबडोद की आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 3 बीघा , किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 60 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 150 /– रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.11.2011 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल भावपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.09.2011 की मूल प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार प्रार्थी नेनाराम पुत्र गंगाराम कोम बंजारा निवासी मजरा त्रिवेणी गांव ने पिछले समय में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण था । अतिक्रमण के बाद आया जुर्माना इसके द्वारा हल्का पटवारी को जमा कर दिया है । अतः आज दिनांक 27.07.2011 तक इस पर किसी भी प्रकार का जुर्माना/लगान बकाया नहीं है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2011 अपास्त किया जाता है लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 16.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा